रजि[redacted] सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1975/आषाढ 6, 1897

No. 172] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27 1975/ASADHA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 27th June 1975

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 359 of the Constitution, the President hereby declares that the right of any person (including a foreigner) to move any court for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and article 22 of the Constitution and all proceedings pending in any court for the enforcement of the abovementioned rights shall remain suspended for the period during which the Proclamations of Emergency made under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd December, 1971 and on the 25th June, 1975 are both in force.

This Order shall extend to the whole of the territory of India except the State of Jammu and Kashmir.

This Order shall be in addition to and not in derogation of any Order made before the date of this Order under clause (1) of article 359 of the Constitution.

[No. II/16013/1/75-S&P(D)II]

S. L. KHURANA, Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 1975

सा० का० नि० 361(अ).—संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा घोषणा करते है कि संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये किसी भी व्यक्ति (जिसमें विदेशी शामिल हैं) का न्यायालय में जाने का अधिकार और उक्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विचारणाधीन सभी कार्यवाहियां, उस अवधि तक निरस्त रहेंगी जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन, 3 दिसम्बर, 1971 और 25 जून, 1975 को की गई आपातकालीन स्थिति की दोनों उद्घोषणाएं प्रवृत्त है।

यह आदेश जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत के समस्त क्षेत्रों में लागू होगा।

यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1) के अधीन इस आदेश की तारीख से पहले बनाए गये किसी आदेश का परिवर्धन होगा न कि अपकर्ष।

[सं० II/16013/1/75-एस एन्ड पी (डी)II]

एस० एल० खुराना, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975